महेश प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

बनाम श्री बहादुरलाल वगैरह

किस्म मुकद्दमा 86 नं. 43/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/8/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट P.O.S.J. पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि देवीलाल पिता श्री लाल वगैरह के नाम पालना हेतु देवीलाल के बजाय रामेश्वर की पत्नी द्वारा बिना ली 115 है जिसमें मेरा नाम भी दर्ज था। कृपा कर मेरा नाम देवीलाल किया जावे।	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा फाचर की विवादित ख.न. 530 0.06 एवं 637 0.06 गै.मु. चाह में रामेश्वर के बजाय देवीलाल सही नाम किया जाने के आदेश दिया जाता है।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/8/18

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official